

## "खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"

(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय  
शाहपुर

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम श्रीहरी की  
जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2029 के खाता संख्या 2696  
में खाना इन्द्र प्रसाद खन्ना के जहाँ नाम उल्लेखित  
कि इस खन्ना

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक:- 28/06/2022

प्रार्थी  
खाना इन्द्र प्रसाद  
(.....)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम श्रीहरी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2029 के  
खाता संख्या 2696 में प्रार्थी का नाम खाना इन्द्र प्रसाद दर्ज है। जबकि मुताबिक  
संलग्न दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम खन्ना इन्द्र प्रसाद है। जो  
संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू0अ0नि0 श्रीहरी  
28/6/2022

पटवारी 28/06/2022

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तह.शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर  
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना  
पत्र पर रिपोर्ट पटवारी श्रीहरी व भू0अ0नि0 श्रीहरी एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के  
आधार पर ग्राम श्रीहरी की जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2029 की खाता संख्या 2696  
में प्रार्थी का नाम खाना इन्द्र प्रसाद के बजाय खन्ना इन्द्र प्रसाद किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम श्रीहरी जमाबन्दी सम्वत् 2026 - 2029

खाता संख्या 2696 में दर्ज प्रार्थी का नाम खाना इन्द्र प्रसाद के स्थान पर खन्ना इन्द्र प्रसाद  
संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

प्रभारी अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)